

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020-21/1006  
समस्त प्राचार्यगण  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान ।

दिनांक :- 30 जून 2020

विषय:-राजकीय महाविद्यालयों में द्वितीय, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर -उत्तरार्द्ध का प्रवेश हेतु शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना वैश्विक महामारी - कोविड 19 के मध्यनजर राज्य के कई शहर व कस्बे कर्फ्यूग्रस्त होने के कारण विद्यार्थी ई-मित्र पर अपना प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा पा रहे हैं। अतः विद्यार्थियों के हित को देखते हुये महाविद्यालय प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अवधि, 30 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक बढ़ाई जाती है।

क्रमांक:-एफ-7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020-21/1006  
प्रतिलिपि - वैब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड हेतु प्रेषित है ।

(प्रदीप कुमार बोरड़)  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा  
दिनांक :- 30 जून 2020

(डॉ० दीपक मेहरा)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर